राजस्व, उपनिवेशन, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग,
राजस्थान सरकार

(का.) : 91-141-2227061
(नि.) : 91-141-2706073

डा. परमेश चन्द्र
प्रमुख शासन सचिव

अ.शा. पत्र क्रमांक F4(4) वक्फ/06
जयपुर, दिनांक : 8-5-06

विषय :– वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व अभिलेखें में इन्द्राज करने बाबत ।

प्रिय श्री

मैं आपका ध्यान इस विभाग के पत्र कमांक प010(4)राज/ग्रुप-3/2/1 दिनांक 17–10–02 की ओर आकर्षित करना चाहुंगा । राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि वक्फ सम्पत्तियों का इन्द्राज वक्फ के बजाये उनके मुतवल्लियों, मुजाविरों व अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों के नाम कर दिया गया है । इस प्रकार गलत इन्द्राज का अनूचित लाभ उठाकर ऐसे लोग वक्फ सम्पत्तियों का लाभ स्वंय उठा रहे हैं या अवैध रूप से हस्तान्तरण कर रहे हैं । राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि वर्ष 1965–66 में राजस्थन सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र भाग 2(क) में वक्फ सम्पत्तियों का जिलेवार प्रकाशन हो चुका है । उसके अनुसार वक्फ सम्पत्तियों का इन्द्राज राजस्व अभिलेखें में हो जाना चाहिए, परन्तु बहुत से मामलों में ऐसा नही हो पाया । कुछ सम्पत्तियों का इन्द्राज इसलिए नहीं भी नही किया गया क्योंकि गजट नोटिफिकेशन में सम्पत्तियों का खसरा नम्बर या परिसीमन दर्ज नहीं है ।

उपरोक्त मामले में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र कमांक एफ 20(20)/राजस्व/3/79 दिनांक 22–7–82 द्वारा निर्देश दिये गये थे । अतः पुनः अवगत कराया जाता है कि उपरोक्त वर्णित मामलों में निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार पालना की जावे ।

1– मस्जिद, दरगाह, इमामबाडा, कब्रस्तान और मकबरों की सम्पत्ति जिनमें मुआफी, बिवसवेदारी, इनाम या खातेदार दर्ज थी और जिनको उनके मुतवल्लियों, व्यवस्थापकों, खादिमों, सज्जादानशीनों, मकुजाविरों व देख रेख करने वालों के नाम दर्ज करदी गयी है उन्हें उचित कार्यवाही कर औकाफ के नाम दर्ज किया जावे और जब भी ऐसा मामला सामने आये तो रिकार्ड दुरस्ती की कार्यवाही तुरन्त की जावे

2– जो वक्फ सम्पत्ति राजस्थान राजपत्र भाग 2 (क) 1965–66 में अंकित है उनका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में संबंधित औकाफ के नाम में किया जावे । यदि किसी वक्फ भूमियों का नाम राजपत्र में है, परन्तु खसरा नंबर राजपत्र में दर्ज नहीं है उन्हें मौके पर कब्जे के आधार पर खसरा नंबर ज्ञात कर अब दर्ज किया जावे । राजपत्र में घोषित किसी वक्फ सम्पत्तियों का स्वामित्व यदि वक्फ के स्थान पर किसी और के नाम रिकार्ड में दर्ज हो गया है तो विवाद नहीं होने की स्थिति में उसे दुरूस्त कर वक्फ के नाम दर्ज किया जावे ।

3— राज्य सरकार के परिपत्र एफ 20(20)राज/3/79 दिनांक 22—7—82 की अनुपालना में वक्फ की कृषि भूमियों को जो वक्फ सम्पत्ति घोषित है, वक्फ सम्पत्ति दर्ज किया जावे व जमाबंदी एवं अन्य अभिलेखों में इन्द्राज किया जावे ताकि अवैध नामान्तकरण ना खोले जा सकसे ।

4— जहां नोटिफिकेशन में खसरा नंबर सही दर्ज है परन्तु क्षेत्रफल सही दर्ज नहीं है तो मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड से चैक कर उसे शुद्ध कर क्षेत्रफल संबंधित औकाफ के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे ।

5— जहा नोटिफिकेशन में केवल वक्फ सम्पत्ति का नाम दर्ज है परन्तु खसरा नम्बरान क्षेत्रफल और परिसीमा कुछ भी अंकित नहीं है तो औकाफ की मौके की स्थिति व वास्तविक कब्जे में धारित भूमि का खसरा नंबर राजस्व रिकार्ड या अन्य सरकार रिकार्ड से ज्ञात कर व कब्जे की मौके की स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल संबंधित औकाफ के नाम दर्ज किया जावे ।

6— वक्फ सम्पत्ति के विवादग्रस्त प्रकरणों को जिन्हें वक्फ दर्ज करने में या सीमाओं व क्षेत्रफल को लेकर विवाद हो व इस कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने में कठिनाई हो तो उन्हें पूर्ण तथ्यों के साथ वक्फ बोर्ड व राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु भिजवायेयं ।

7— विभिन्न न्यायालयों/वक्फ अभिकरण द्वारा दिये गये निर्णयों एवं सम्पदा अधिकारी वक्फ बोर्ड द्वारा केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54—55 के अन्तर्गत पारित निर्णयों की अनुपालना में वक्फ सम्पत्तिया वक्फ बोर्ड कों संभलाने की कार्यवाही 1 माह में करना सुनिश्चित करावें ।

सदभावी

(डा0 परमेश चन्द्र)

श्री

कलेक्टर